संख्या-133/2018/1213/26-3-2018-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः- 2 ~~अप्रैल~~ 2018

विषयः-शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा-11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित संशोधित समय- सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में समन्वय स्थापित कर पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य अन्य समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही आन-लाइन अनिवार्य कर दी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-3449/2018 स्व0 रघुनन्दन सिंह महाविद्यालय व अन्य एवं इसके साथ संलग्न रिट याचिका संख्या-722/2018 श्री जगदेव सिंह, महाविद्यालय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-4660/2018 श्री हरद्वारीलाल महिला महाविद्यालय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-02-2018 द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये हैं आदेश का अंश निम्नवत हैं :-

On a close scrutiny of the issue at hand in the light of order passed by this Court on 5.2.2018 in Writ Petition No. 3449 (MS) of 2018, the Principal Secretary has assured that the State Government looking to the kind of complications that have arisen before this Court, has proposed the reimbursement of annual fee/examination fee, as the case may be, well in advance in two phases. The Principal Secretary has tentatively projected deadline of 30th October of every year for the purpose of transfer of annual fee through Direct Benefit Transfer (DBT) process whereas the examination fee is 2 assured to be transferred through the same very process on or before the 31st of December of every year.

This would mitigate the inflow of litigations insofar as the payment of annual fee as well as examination fee to the beneficiary students of the respective Colleges is concerned.

This Court at this stage expects and hopes that a mechanism shall be evolved promptly and positively before the end of March, 2018. Insofar as the current session, of which examinations are to commence from March, 2017 is

concerned, it is assured by the Principal Secretary that necessary payment shall be credited to the bank accounts of the beneficiaries through DBT process not later than a period of three weeks from today. Once the transfer is made, the interest of the college concerned for realization of the said amount, for the purpose of reimbursement to the University, shall stand duly protected.

The situation as it exists on date is that the forms of the students have been uploaded on the web portal but have not been received by the University due to non-payment of examination fee. Since the examination dates are approaching fast, as such, in exercise of discretionary power, for dealing with the matters at hand, it is provided that the petitioners 3 shall forward complete forms of every student through on-line process and the payment towards examination fee so made in relation to the Scheduled Caste category students may be realised by the Colleges from the concerned beneficiaries. The petitioner colleges shall, however, bear late fee of Rs. 100/- which is quantified for the current session. This exercise shall be concluded within the shortest period and in any case within a period of ten days from today.

This order having been passed in the peculiar facts and circumstances of the matters at hand, would not constitute a precedence for claiming any refund of the late fee deposited by the Colleges, if any, in excess of Rs. 100/. Sri Savitra Vardhan Singh, learned counsel for the University shall communicate this order to the University without any delay and the same shall be complied with by all concerned parties without insisting for a certified copy thereof, pending its availability.

With the aforesaid observations/directions, all the writ petitions are disposed of finally.

3— मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक—05/स0क0/शिक्षा—अ/1/103/दश0समयसा0/2018—19, दिनांक—02.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह—1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा—11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4— मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण दो किश्तों में दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के आदेशों के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 02—04—2018 द्वारा प्रस्तावित समय सारिणी को निरस्त करते हुये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय सारिणी का प्रस्ताव निम्नवत है :—

क0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11—12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3
1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके	01 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 तक

	डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना।	31 जुलाई 2018 से 30 अगस्त 2018 तक
3	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना।	31 अगस्त 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक
5	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 06 सितम्बर 2018 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 12 सितम्बर 2018 तक
8	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	13 सितम्बर से 15 नवम्बर 2018 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	18 सितम्बर 2018 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)	13 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)।	24 सितम्बर 2018 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)।	26 सितम्बर 2018 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	28 सितम्बर 2018 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया	01 अक्टूबर 2018 तक

	जाना।	
15	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2018 को
कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं अवशेष नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
16	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	13 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2018 तक
17	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक
18	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	21 अक्टूबर 2018 से 01 नवम्बर 2018 तक
19	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 नवम्बर 2018 तक
20	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 अक्टूबर 2018 से 07 नवम्बर 2018 तक
21	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	08 नवम्बर 2018 से 22 नवम्बर 2018 तक
22	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	28 नवम्बर 2018 तक
23	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक
24	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	20 दिसम्बर 2018 तक
25	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	31 दिसम्बर 2018 तक
26	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2019 को

5– अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

D.P Dwivedi g.o

पृ0सं0– 133/2018/1213 (1)/26–3–2018 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– कुल सचिव, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

'रवि शंकर मिश्र'
अनु सचिव।

D.P Dwivedi g.o